लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 मटिया लाईम स्टोन माईन द्वारा ग्राम मटिया, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) के खसरा कमांक 404, 405/1 में लाईम स्टोन माईन (माईनिंग लीज़ एरिया 12.137 हेक्टेयर) क्षमता 22,501 टी.पी.ए. के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.09.2010 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 मटिया लाईम स्टोन माईन द्वारा ग्राम मटिया, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) के खसरा कमांक 404, 405/1 में लाईम स्टोन माईन (माईनिंग लीज़ एरिया 12.137 हेक्टेयर) क्षमता 22,501 टी.पी.ए. हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 15.09.2010 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे शासकीय स्कूल भवन ग्राम पंचायत मटिया, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर में सुनवाई निश्चित की गई।

लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं सुनवाई के दौरान कुल 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो **संलग्नक–1** अनुसार है।

दिनांक 15.09.2010 को उद्योग की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला रायपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न कराई गई, कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–2** अनुसार है।

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई। तत्पश्चात उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के बारे में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग प्रतिनिधि श्री मंजीत सिंह एवं श्री प्रवीण मित्रा तथा जे.एम. इन्वॉयरोनेट प्रा. लिमिटेड के श्री रोहित माईनकर एवं श्री रमेश भाटिया एवं श्री जैन पर्यावरण सलाहकार द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया गया।

   उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चूना पत्थर खदान से मैन्युअल उत्खनन किया जायेगा, समस्त पर्यावरणीय नियमों एवं शासकीय निमयों का पालन किया जायेगा। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जायेगा, छोटे स्तर की ब्लॉस्टिंग की जायेगा। खदान से उत्खनन कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि आस–पास के ग्रामवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सामाजिक कार्यों में समय–समय पर सहयोग किया जायेगा। श्री रोहित माईनकर द्वारा खदान के संबंध में तकनिकी

प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने रोजगार उपलब्धता, पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन, कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग, सामाजिक कार्यों में योगदान के संबंध में

जानकारी दी गई। खदान लीज़डीड श्री गंगाराम शर्मा के नाम आबंटित है, जिसका खनन पट्टा 26.04.2019 तक 20 वर्षों की अवधि हेतु स्वीकृत एवं भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित है। आस–पास कोई भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। खदान के फलस्वरूप कोई विस्थापन नहीं है। ईकाई द्वारा पर्यावरण मद हेतु रूपये 3,60,000 का प्रावधान रखा गया है। ओपन कॉस्ट पद्धति से उत्खनन किया जायेगा, ओवर बर्डन को हटाया जाकर, ब्लॉस्टिंग उपरांत खनन कर इसका समुचित परिवहन किया जायेगा। ईकाई के द्वारा परिवेशीय वायु गुणवत्ता, वर्षा, हवा के बहाव एवं जल की गुणवत्ता का परिमापन किया गया है। कुल उत्खनन क्षेत्र 12.137 हेक्टेयर में से 2.137 हेक्टेयर क्षेत्र पर हरित पट्टिका विकसित करने का प्रस्ताव है। पांच साल के दौरान कुल 2137 नग वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। खदान में 22 व्यक्तियों को योग्यता अनुरूप रोजगार उपलब्ध होगा। उत्खनन के दौरान कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा हेतु संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

3. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री अवधराम वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा छोटी एवं बड़ी ब्लॉस्टिंग के संबंध में जानकारी चाही गई एवं उन्होंने कहा कि खदान के चारों ओर फेंसिंग नहीं कराई गई है, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि शार्ट ब्लॉस्टिंग की जावेगी। उद्योग प्रबंधन द्वारा आश्वस्त किया गया कि खदान के चारों ओर फेंसिंग कराई जायेगी।

2 श्री ताम्रध्वज वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि अवैध उत्खनन किया जा रहा है। स्थल पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में उत्खनन किया जा रहा है। श्री ताम्रध्वज वर्मा ने कहा कि खदान क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मंदिर को सुरक्षित रखे जाने हेतु उपाय किया जावे।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि उत्खनन क्षेत्र के अंतर्गत ही खनन कार्य किया जा रहा है। उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि दो वर्षों से उत्खनन बंद है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि खदान का परिसीमन कराया जायेगा।

3 श्री बंशीलाल साहू, ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि पत्थर उत्खनन का कार्य चल रहा है तथा ब्लॉस्टिंग का समय निर्धारित नहीं है, मजदूर कब घर जायेगा इसका समय निर्धारित नहीं है।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि ब्लॉस्टिंग हेतु 1 से 1.30 बजे का समय निर्धारित है तथा ब्लॉस्टिंग के नियमों का पालन किया जायेगा।

4 श्री रामसजीवन वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि खदान से पानी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि खदान 5 मीटर गहरी रहेगी जबकि भू–जल स्तर 20 से 25 मीटर नीचे है। अतः खुदाई से भू–जल स्तर प्रभावित नहीं होगा। खदान में भरे पानी का उपयोग किया जावेगा।

5 श्री उधोराम वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा जानकारी चाही गई कि, क्या प्रबंधन द्वारा जल/वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया गया है ? क्या उद्योग के स्वामी उपस्थित है, जो जिम्मेदारी से ग्रामीणों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खदान 7 वर्षों से संचालित है, क्या इससे सहमत हैं ? उनके द्वारा जानकारी चाही गई कि, बिना नाम परिवर्तन के लोक सुनवाई संभव है ?

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि खदान श्री गंगाराम शर्मा के नाम से आबंटित है, मे0 गगोत्री लाईम स्टोन माईन एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी पावर ऑफ एटॉर्नी श्री मंजीत सिंह के पक्ष में है। पर्यावरणीय स्वीकृति के उपरांत जल एवं वायु सम्मति ली जावेगी।

जनसामान्य को अवगत कराया गया कि, यह लोक सुनवाई जन सामान्य के विचारों को जानने के लिये कराई जा रही है, जिसे लिपिबद्ध कर संबंधित कार्यकारी को प्रेषित किया जावेगा। लोक सुनवाई के दौरान खदान के स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। खदान के पूर्व में बगैर स्वीकृति के संचालन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

6 श्री भीम वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है। खनन कार्य मंदिर के समीप तक पहुंच गया है। उनके द्वारा आग्रह किया गया कि मंदिर हेतु चबूतरे का निर्माण किया जाना चाहिये, वृक्षारोपण किया जाना चाहिये, हैवी ब्लॉस्टिंग नहीं की जानी चाहिये तथा सामाजिक कार्यों हेतु सहयोग प्रदान किया जावे।

उक्त के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि उत्खनन क्षेत्र एवं मंदिर के मध्य 200 मीटर का अंतर रखा जायेगा, वृक्षारोपण किया जायेगा तथा ग्रामवासियों को सहयोग प्रदान किया जावेगा।

7 श्री उत्तम वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि अवैध उत्खनन किया जा रहा है, हैवी ब्लॉस्टिंग के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग करें अपने क्षेत्र में उत्खनन करें, प्रदूषण रोकने के लिये वृक्षारोपण करें, मंदिर के आस–पास पत्थर एकत्रित न किये जायें, ग्रामवासियों के कार्यक्रमों में सहयोग दिया जावे एवं सुरक्षित ब्लॉस्टिंग करें, जिससे राहगीरों को परेशानी न हो।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उक्त के संबंध में यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।

8 श्री अवधराम वर्मा, ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि मंदिर जाने हेतु रास्ता नहीं है। चारों तरफ से खुदाई हो गई है।

उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि मंदिर जाने का रास्ता अलग है।

9 श्री संतुलाल बंजारे, सरपंच ग्राम मटिया द्वारा कहा गया कि खदान चलता है तो ग्रामवासियों को रोजगार मिले, ब्लॉस्टिंग से प्रदूषण को रोकने के लिये खदान के

चारों ओर वृक्षारोपण किया जावे तथा खदान में जल का सदैव भराव रहे।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम मटिया के ग्रामवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जावेगी।

10 श्री दिनेश कुमार खुंटे, ग्राम दौंदेकला द्वारा कहा गया कि खदान में बीस वर्षों से उत्खनन किया जा रहा है। उनके द्वारा मांग की गई कि खदान क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसके लिये पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिये, शासकीय जमीन पर उत्खनन किये जाने से खदान क्षेत्र का चिन्हांकन कराया जाना चाहिये, जिससे शासकीय जमीन पर उत्खनन न किया जा सके। खदान क्षेत्र का सीमांकन कर फेसिंग किया जाना चाहिये। पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। उनके द्वारा खदान में उत्खनन संबंधी सभी निमयों का पालन किये जाने तथा उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्यवाही की भी मांग की गई। उन्होंने बस्ती से लगे क्रशरों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि शासकीय नियमों एवं पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुये उत्खनन कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा जनहित के कार्यों में कार्य सहयोग करने की मांग की।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि सारे नियमों का पालन किया जायेगा तथा ग्राम के विकास में सहयोग किया जायेगा।

11 श्री अरविंद सिंह ठाकुर, दौंदेखुर्द द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि खदान क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मजदूर उपलब्धत है। प्रदूषण नियंत्रण के लिये वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों एवं मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुये खदान संचालित की जानी चाहिये। मंदिर का विकास तथा सड़क निर्माण किया जाना चाहिये।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि सड़क का निर्माण किया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान कुल 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो **संलग्नक–1** अनुसार है। लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

तत्पश्चात अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित लोगों को उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों/समस्याओं से अवगत कराते हुये लेखबद्ध किये जाने एवं सभी मुद्दों को जन सुनवाई विवरण के साथ शासन को भेजे जाने तथा कार्यविवरण की प्रति ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी गई तथा लोक सुनवाई विवरण से अवगत कराते हुये धन्यवाद के साथ कार्यवाही समाप्त की गई।

अपर कलेक्टर
जिला रायपुर (छ. ग.)